

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

सूआईडी संख्या : UPFS/2024/132544/UNO/UNNAO/1055/CFO

दिनांक : 26-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MAHARSHI DAYANAND PUBLIC SCHOOL** पता **AT-NEHRU BAGH, SAHJANI,,UNNAO-SHUKLAGANJ ROAD,UNNAO** तहसील - **UNNAO** प्लॉट एरिया **6687.06 sq.mt (वर्गमीटर)**, कुल कवर्ड एरिया **2607.17** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	15.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **MAHARSHI DAYANAND PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित कराई गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **29-09-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MAYANK SHUKLA, mayankshukla7142@gmail.com, 9839800800**, के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-10-2024** से **03-10-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए कियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MAHARSHI DAYANAND PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MAHARSHI DAYANAND PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : The Building is Operational Since Long, Hence, NOC is issued as per NBC-2016& DGFS Circular on 14.03.24 as per the Physical Site Inspection & Verification with Recommendations of FSO Unnao:- 1.To Maintain All Fire Systems as per Norms in Operational mode Always. 2.To Maintain all Stairs and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises. 3.To Submit Operational Certificate of Fire System on Quarterly & Half Yearly Basis. 4.To Comply for Bye Laws, UP as per USDA or COMPETENT AUTHORITY Approval. 5.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions or any deviation in norms of COMPETENT AUTHORITY or for any False Information or FSO Report.



निर्गत किये जाने का दिनांक : **03-10-2024**
स्थान : **UNNAO**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

D294717EEDD2F25868B24BD5D6D9135AD528C08F

03-10-2024

Note - Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.